संख्या- 27 /2025 /72 /चार-2026- 1962013

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभागः लखनऊः दिनांक 23 जनवरी, 2026

विषय- आयोजित/ प्रायोजित कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों के मानदेय यात्रा व्यय का भुगतान किये जाने हेतु उ0प्र0 लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान, लखनऊ के खाते में धनराशि रखे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 3563/सं0नि0-15(23)/2014-15टी.सी.-498291 दिनांक 11 दिसम्बर, 2025 एवं पत्र संख्या-3885/सं0नि0-15(23)/2014-15टी.सी. दिनांक 08 जनवरी, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें उल्लेख किया गया है कि शासनादेश संख्या-299/2025/2498/चार-2025-1962013**,** दिनांक 10 सितम्बर**, 2025** द्वारा आयोजित/प्रायोजित कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों के मानदेय के भुगतान किये जाने हेतु उ0प्र0 लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान**,** लखनऊ के खाते में रू0 200.00 लाख (रूपये दो करोड़ मात्र) की धनराशि रखी गयी थी। जिसमें कलकारों के मानदेय का भुगतान हो जाने के कारण लगभग धनराशि समाप्ति पर है। कलाकाकारों के मानदेय एवं मार्ग व्यय के भुगतान हेतु निर्मित ''Sanskriti Up'' एप द्वारा लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान, लखनऊ के माध्यम से कलाकारों के मानदेय एवं मार्ग व्यय का सुगमतापूर्वक भुगतान कराये जाने हेतु रू0 200.00 लाख उक्त संस्थान के खाते में रखाये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार कार्यालय ज्ञाप संख्या-2769/चार-2022, दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार आयोजित/ प्रायोजित कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों के मानदेय एवं मार्ग व्यय का भुगतान किये जाने हेतु **रू0 200.00 लाख (रू0 दो करोड़ मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए धनराशि उ0प्र0 लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान के खाते में रखे जाने की अनुमति निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैंः-

(1) सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त ही धनराशि तय की जायेगी।
(2) स्वीकृत धनराशि का सम्पूर्ण व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का तिथिवार सम्पूर्ण विवरण शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
(3) चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर संस्थान के पास उक्त धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि शासन को समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
(4) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(5) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(6) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

(7) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

(8) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(9) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(10) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(11) संबंधित संस्था/ कलाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि को संस्थान/ कलाकार के बैंक खाते में समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।

(12) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निवर्तन पर है, अत: बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(13) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-102-कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन-19- विभिन्न अवसरों पर सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन-42-अन्य व्यय मद से वहन किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. निदेशक, उ0प्र0 लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in